न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 31/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

शेरसिंह पुत्र निनुआ जाति जाट निवासी बौरई तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर दिनांक 27.2.2018 प्रकरण संख्या 48/2017 (91 एल आर एक्ट) सरकार बनाम शेरसिंह

उपस्थित :
1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

दिनांक – 23.3.2018

निर्णय

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार कुम्हेर की आज्ञा दिनांक 27.2.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 2/0.34 खसरा नम्बर 34/0.52 है वाकै ग्राम बौरई किस्म गै0मु0 चारागाह पर सरसों व गेंहू बो कर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलाधीन आदेश से उक्त अतिक्रमित भूमि से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं उसे अतिक्रमित रकबे के लगान 18.92 की पचास गुना राशि 946 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के फलस्वरूप तीन माह अर्थात नब्बे दिवस के साधारण कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि तहत अदालत ने न तो पटवारी हल्का से जिरह करने का मौका दिया। न ही पटवारी हल्का द्वारा कोई साक्ष्य अथवा मौका साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये हॉटेस्ट पद्धति पर निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत में अपना जबाब भी प्रस्तुत किया था । अपीलाधीन निर्णय में अंकित विवादित आराजी पर कब्जा सन 1966 से पूर्व अपीलान्ट के पिता का था और पिता की मृत्यु दिनांक 1988 के उपरान्त अपीलान्ट का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। अपीलान्ट के पिता भूमिहीन थे एवं अपीलान्ट भी भूमिहीन है। अपीलान्ट के विरूद्ध बीसों बार 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही की गई। जिसकी अपील आर0ए0ए0 भरतपुर के यहां की गई जो स्वीकार की जाकर उपखण्डाधिकारी भरतपुर को विनियमन करने की कार्यवाही करने के

निर्देश दिये गये है। अपीलान्ट के विरूद्ध तहसीलदार कुम्हेर द्वारा दिनांक 2.2.1994 को 91 एल आर एक्ट में निर्णय पारित किया गया था जिसकी अपील श्रीमान के यहां की थी जो दिनांक 31.5.1994 को स्वीकार कर रिमाण्ड की गई थी। तहसीलदार कुम्हेर ने वर्ष 2007 में 91 एलआरएक्ट के अंतर्गत निर्णय दिनांक 26.2.2008 को अपीलान्ट के हक में नियमन की सिफारिश की गई और पत्रावली उपखण्डाधिकारी कुम्हेर को भेज दी गई लेकिन इन सब तथ्यों पर कोई विचार न किया जाकर तहत अदालत ने अपीलाधीन पारित किया गया है जो काबिल मंसूखी है। चारागाह भूमियों पर लगातार निर्वाधित अतिक्रमणों के नियमन के बाबत राजस्व सचिव राजस्व ग्रुप–4 विभाग राज0 जयपुर द्वारा परिपत्र 406(2)/राज/ग्रुप–4/83/5 जयपुर दिनांक 2 फरवरी 1983 द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो व्यक्ति 1 जनवरी 1970 से पूर्व से ही चारागाह की भूमि पर निरन्तर अतिक्रमण पर काश्त करते चले आ रहे है जो भूमिहीन कृषक है नियमानुसार नियमन किया जा सकता है इस तथ्य पर भी तहत अदालत ने गौर नहीं किया है। अपीलान्ट का कब्जा काफी पुराना है। यही नही नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15.3.2011 को भी उक्त विवादित आराजी की बाबत नियमन की सिफारिश करने का आदेश पारित किया है। एसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना कानून गलत है। तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय इल्लीगल आरबीट्रेरी एवं कैप्रीसियस होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी के संदर्भ में एक दावा घोषणा एवं हुक्म इम्तनाई दवामी का तहरीरी तारीख 3.2.2016 न्यायायल उपखण्डाधिकारी कुम्हेर में प्रस्तुत कर रखा है। अपीलान्ट का बोनाफाईड हित है रेग्यूर सूट के माध्यम से ही हक व हकूक तय होने है जहां रेगूलर सूट पेडिंग है वहां समरी प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों कि अपीलान्टस/अतिक्रमी ने खसरा नम्बर 2/0.34 खसरा नम्बर 34/0.52 है0 वाकै ग्राम बौरई किस्म गै0मु0 चारागाह पर फसल सरसों, गेहूं बो कर अतिक्रमण कर लिया है जिसकी पटवारी हल्का द्वारा 91 एल आर एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की गई। नोटिस की विधिवत तामील भी अपीलान्ट पर हुई है। अपीलान्ट द्वारा जबाब भी प्रस्तुत किया किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया जिससे अपीलान्ट द्वारा किये गये वर्तमान अतिक्रमण एवं गत अतिक्रमण को वैद्य माना जा सके। गत सम्वत में भी अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। जिसका प्रकरण संख्या 12/16 दर्ज हुआ जिसका निर्णय दिनांक 26.2.2016 से अतिक्रमी को वेदखल भी किया गया था। दिनांक 21.3.2016 (घटनावही क्रम सं0–1) को मौके से बेदखल भी किया गया था। उक्त कार्यवाही के बाद पुनः अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया । पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी की रिपोर्ट तहत अदालत में प्रस्तुत की गई जिस पर नियमानुसार 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलान्ट को सुना गया अपीलान्ट ने जबाब भी प्रस्तुत किया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी लिये गये है अपीलान्ट के खिलाफ गत एवं वर्तमान अतिक्रमण संबधी तथ्यों से

रूबरू होते हुये प्रमाणित पाये जाने पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायसंगत है। राज्य सरकार के आदश क्रमांक एफ 9(9) राज–6/2011/ 3 दिनांक 29.3.2011 के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एस एल पी (सी) नम्बर 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2011 की पालना में चारागाह भूमि/ जोहड पायतन और तालाबों की भूमियों का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। उक्त विवादित भूमि राजकीय भूमि है और राजस्व रिकार्ड में आज भी चारागाह ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो न्याय संगत है। उक्त राजकीय भूमि पर पुनः अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है। इसलिऐ अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है। अपीलान्टस बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानों/ मौका रिपोर्ट तथा गत रिकार्ड से वर्तमान एवं गत अतिक्रमण सिद्ध हो जाने पर ही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो उचित है। जिस भूमि पर अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण कर रहा है वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की चारागाह भूमि है । अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है । अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.2.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नम्बर 2/0.34 खसरा नम्बर 34/052 है0 वाकै ग्राम बौरई किस्म गै0मु0 चारागाह पर फसल सरसौ व गेंहू बो कर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। इसके अलावा पूर्व में गत सम्बत में किया गया अतिक्रमण प्रकरण संख्या 12/2016 निर्णय दिनांक 26.2.2016 एवं बेदखली दिनांक 21.3.2016 एवं पटवारी हल्का के बयानों से साबित होता है। वे स्वयं अपने कथनों में गत एवं वर्तमान अतिक्रमण को स्वीकार करते है। दौराने सुनवाई उनके कथनों से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि वे नियमन की चाह रखते हुये राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रहे है। अपीलान्ट की यह गैर न्यायिक मंशा उनकी अपीलीय सारांश से भी बखूबी जाहिर हो रही है। इसके विपरीत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह भी स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलान्ट के द्वारा अतिक्रमित भूमि राजस्व रिकार्ड में आज भी गैर मुमकिन चारागाह दर्ज है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमों के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत विस्तृत प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जिसने भूमि पर बिना विधि संगत (Unlawful) प्राधिकार के अधिवास (Occupation) कब्जा कर रखा हो या अधिवास रखता चला आ रहा है तो उसे अतिक्रमणी समझा जायेगा। संबधित तहसीलदार का यह दायित्व है कि 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर अतिक्रमित राजकीय भूमि को अतिक्रमी से मुक्त करावें। इस प्रकरण में

तहसीलदार द्वारा बखूबी अपने दायित्व का निर्भहन किया गया है। अतिक्रमित भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन चारागाह दर्ज है ऐसी स्थिति में तहत अदालत तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.2.2018 न्यायियक ही माना जायेगा। अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त सार्वजनिक चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के उल्लघंन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 16 के प्रावधानानुसार वर्जित होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है। लिहाजा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 27.2.2018 में कोई विधिकत्रुटि प्रमाणित नही होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.3.2018 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official